

सं० सं०-टी-3(यो०)/भवन-45/2018-191/

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), नियोजन भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

प्रेषक,

विशेष सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

/प ट ना, दिनांक-17/01/2018

विषय:-

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेतिया के परिसर में मुख्य भवन एवं कर्मशाला का मरम्मत, कैन्टीन एवं प्राचार्य क्वार्टर का मरम्मत, स्टाफ हॉस्टल का मरम्मत, पुराना हॉस्टल का मरम्मत, विश्व बैंक भवन का जीर्णोद्धार, पहुँच पथ का निर्माण तथा दो साइकिल स्टैण्ड के निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 89,13,300.00 (नवासी लाख तेरह हजार तीन सौ) रु० मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेतिया के परिसर में मुख्य भवन एवं कर्मशाला का मरम्मत, कैन्टीन एवं प्राचार्य क्वार्टर का मरम्मत, स्टाफ हॉस्टल का मरम्मत, पुराना हॉस्टल का मरम्मत, विश्व बैंक भवन का जीर्णोद्धार, पहुँच पथ का निर्माण तथा दो साइकिल स्टैण्ड के निर्माण कार्य हेतु कुल राशि 89,13,300.00 (नवासी लाख तेरह हजार तीन सौ) रु० मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-9696 (भ०), दिनांक-12/09/2018 द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में राज्य स्कीम के अन्तर्गत प्रदान की जाती है, जिसका विवरणी निम्नवत् है:-

| क्र० सं० | कार्य का नाम | राशि |
|----------|---|--------------|
| 1 | Repair of Main Building and Workshop | 6,34,400.00 |
| 2 | Repair of Canteen and Principal Quarter | 2,16,200.00 |
| 3 | Repair of Staff Hostel Building | 10,75,200.00 |
| 4 | Repair of Old Hostel Building | 6,50,600.00 |
| 5 | Renovation of World Bank Building | 13,41,000.00 |
| 6 | Construction of Approach Road | 18,72,000.00 |
| 7 | Construction of Two Cycle Stand | 31,23,900.00 |
| कुल योग- | | 89,13,300.00 |


2-

इस स्कीम के अन्तर्गत उक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 60-अन्य भवन, लघु शीर्ष 051-निर्माण, उप शीर्ष-0112-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन, विपत्र कोड-03-4059600510112, राज्य स्कीम के विषय शीर्ष -0112.53.01 मुख्य निर्माण कार्य से वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से किया जाएगा। निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में स्वतः आगे के वित्तीय वर्षों में संबंधित शीर्षों में उपबंधित/प्रावधानित राशि से व्यय किया जाएगा। इस राशि के व्यय में वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17-04-1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

क०प०उ०

- 3- इस राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी प्रधान सचिव/सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे।
- 4- इस राशि की निकासी जिला कोषागार, बेतिया (प० चम्पारण) से की जायेगी।
- 5- कार्य का भौतिक, वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से महालेखाकार एवं निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण को मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रूप में समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
- 7- संचिका संख्या-टी-3(यो०)/भवन-45/2018 के पृष्ठ -11...../टि० पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।


विश्वरामभाजन


विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक- टी-3(यो०)/भवन-45/2018-.....121..... /प ट ना, दिनांक- 17/01/2018
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग (वार. प्रतियों में)/वित्त विभाग (बजट शाखा)/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/श्रमायुक्त-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग

ज्ञापांक- टी-3(यो०)/भवन-45/2018-.....121..... /प ट ना, दिनांक- 17/01/2018
प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, बेतिया (प० चम्पारण)/जिला कोषागार पदाधिकारी, बेतिया (प० चम्पारण)/कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, बेतिया (प० चम्पारण)/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेतिया (प० चम्पारण) (प्राक्कलन की प्रति संलग्न)/मासिक व्यय विवरणी शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा/आई० टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग